12.51 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

INCREASES IN EXCISE DUTY ON SIZED SUPERFINE AND FINE YARN

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): I beg to lay on the Table a statement regarding the increase in excise duty on sized superfine and fine yarn and the estimated additional revenue therefrom. [*Placed in Library, see No. LT*-1442/67.]

DELAY IN EXECUSION OF RUSSIAN AIDED PROJECTS

Shri Morarji Desai: I beg to lay on the Table a Statement regarding delay in the execution of Russian aided Projects. [*Placed in Library. See* No. LT-1459/67.]

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री देसाई ने जो वक्तव्य सदन-पटल पर रखा है, मैंने उस विषय के सम्बन्ध में आपको दो तीन पत्र लिखे, जिनमें श्री देसाई की ग़लती बताई। मैं ने श्री देसाई के मंत्रालय के लोगों से बातचीत भी की। अब सदन में जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसका नतीजा यह होगा कि मेरी बात को सदन के सामने बाद में अकेले आयेगी, जब कि श्री देसाई का वक्तव्य सदन-पटल पर रख दिया गया है— जैसा कल हुआ है, वैसा ही आज भी हो जायेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए श्री देसाई को चाहिए कि वह कम से कम अपने बयान का सारांश इस सदन को दे दें। तब तो मेरे जवाब का कुछ मतलब होगा। वैसे मैं आपसे कहूं कि कायदे के अनुसार आपको मेरी बात या तो पहले और या बाद में पूरी तरह से सुननी चाहिए। अध्यक्ष के निदेश 115 के अनुसार पहले सुननी चाहिए, लेकिन अगर किसी तरह से आप ने उस नियम को तोड़ दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री देसाई अपने बयान का सारांश बता दें और उसके बाद मैं अपनी बात कहूं, वर्ना रंगा साहब या दूसरे माननीय सदस्य इस मामले को बिल्कुल साफ समझ ही नहीं पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसी वक्त इस स्टटमैंट को डिसकस करना चाहते हैं?

डा० राम मनोहर लोहिया: डिसकस करने का सवाल नहीं है। वित्त मंत्री अपने बयान का सारांश बता दें और उसके बाद मैं अपनी बात कह दूं।

अध्यक्ष महोदय: सारांश बताने का नतीजा यह होगा कि कई दूसरे मेम्बर सवाल पूछने लग जायेंगे और यह मामला चलता रहेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया: आप मुझे अपनी बात कहने का अवसर देंगे न?

अध्यक्ष महोदय: किस बारे में?

डा० राम मनोहर लोहिया: फ़ाइन और सुपरफ़ाइन यार्न पर एक्साइज़ ड्यूटी के बारे में, जिस पर श्री देसाई ने अपना वक्तव्य सदन-पटल पर रखा है। आप जानते हैं कि यह वक्तव्य कई पत्रों के बाद आया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपको लिखा है।

डा० राम मनोहर लोहिया: आप मुझे बोलने का अवसर देंगे न?

Mr. Speaker: You are corresponding with him. Why don't you continue that? Why do you want to raise it here?

डा० राम मनोहर लोहिया: इस लिए कि ग़लत बयानी फिर भी रह जाती है। यह वित्तीय मामला है। यह खाली एक टैक्स का मामला नहीं है। मैंने यह ग़लती बताई था कि सरकार ने इस ड्यूटी की जो आमदनी दी है, वह उससे चार पांच सौ सैंकड़ा

[डा० राम मनोहर लोहिया]

अधिक है । मैंने बहुत सोचा विचारा है । वह तीन सौ सैकड़ा तो है ही । अगर वित्तीय मामलों में असावधानी होगी या ईमानदारी की कमी होगी, तो फिर राज्य नहीं चल सकता है, राज्य ख़त्म हो जाता है । इस लिए जब आप वित्त मंत्री को अपना बयान सदन-पटल पर रखने का मौका देते हैं और मुझसे यह मौका छीन लेते हैं, तो आख़िर आप किस नियम के अनुसार चल रहे हैं ?

Mr. Speaker: After all, there are a number of papers being laid on the Table of the House. If you want every thing to be read out and then a discussion on it started, I do not know whether we will be able to do any thing at all in this House today, because a number of papers are there to be laid on the Table of the House. You are pointing out some mistakes to the Deputy Prime Minister, Mr. Morarji Desai, form your point of view, and he is also replying to you, and he is laying it on the Table of the House. If through correspondence you can do it, it is all right. Or else, you can raise it next time, but not now.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप अध्यक्ष के निदेश 115 को तो देखिये ।

Mr. Speaker: But it is not put in the agenda. Adhyakah has got so much of power but it cannot all be used.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बिल्कुल साफ़ तौर से फ़ैसला हो चुका है कि जब किसी सदस्य ने किसी मंत्री के बयान में कोई ग़लती बताई हो तब अकेला मंत्री ही उस पर बयान नहीं कर सकता है । यह बिल्कुल निश्चित नियम रहा है । तो फिर केवल वित्त मंत्री ही अपना बयान कैसे कर सकते हैं ? इस सदन में दोनों तरफ का बयान आना चाहिए । आपने अकेले श्री देसाई को बयान करने की अनुमति देकर पुराने नियमों को तोड़ा है । अध्यक्ष के निदेश 115 के अनुसार आप यह नहीं कर सकते हैं ।

Mr. Speaker: It has been done a number of times.

Shri Morarji Desai: May I submit that I have laid the statement on the Table at the request of Dr. Lohia. I would not have put it if he had not requested me to put a statement before the House. It is not right to say that I am taking away his right.

डा० राम मनोहर लोहिया : हां तो फिर मेरा जवाब भी तो होना चाहिए ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अब अध्यक्ष महोदय मेरा व्यववस्था का प्रश्न सुनिए । . . . (व्यवधान) . . .

C'NTRAL BOILERS BOARD (NOMINATION OF MEMBERS) RULES, AND ANNUAL REPORT OF HINDUSTAN CABLES LIMITED, BURDWAN

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath Reddi): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 1967, published in Notifiation No. G.S.R. 1094 in Gazette of India dated the 22nd July, 1967, under sub-section (2) of section 28A of the Indian Boilers Act, 1923. [*Placed in Library. See* No. LT-1443/67.]

(2) A copy of the Annual Report of the Hindustan Cables Limited, Burdwan, for the year 1965-66 along with the—

(i) Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company. [*Placed in Library. See* No. LT-1444/67.]